

fuca/ku laE

laE ,yEethE 1&0812002&ySt&25 57-बिहार
fo/kku eaMy }kjk ;Fkkikfjr fuEu Eufyf[kr
अधिनियम जिसपर राज्यपाल 4 सितम्बर 2 2002 को
vuqefr ns pqds gSa] blds }kjk loZlk/k kkj.k dh
सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में)
अधिनियम, 2002 वित्तीय स्थापनाओं में जमाकर्ताओं के हितों का
संरक्षण एवं उससे संबंधित अन्य मामलों के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो यथा:-

- (1) यह अधिनियम बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण
(वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) अधिनियम 2002 कहा जा
सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

इस अधिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है धारा-5 के अधीन
नियुक्त सक्षम प्राधिकारी,

(ख) “अभिहित न्यायालय” से अभिप्रेत है धारा-7 के अधीन
गठित vfHkfgr U;k;ky;]

(ग) “जमा”-विनिर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा नकद या वस्तु
या विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में सूद, बोनस, लाभ या किसी अन्य
रूप में किसी फायदा के साथ या फायदा रहित वापसी के इरादे
से किसी वित्तीय स्थापना द्वारा धन की प्राप्ति या किसी मूल्यवान
वस्तु का प्रतिग्रहण, जमा में शामिल होगा, और सदा ls 'kkfey
le>k tk;sxk fdUrq blesa fuEufyf[kr 'kkfey नहीं होगा।

- (i) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित “सेबी द्वारा दिये गए मागदर्शक सिद्धांतों एवं बनाए गए विनियमों के अधीन आच्छादित शेयर पूंजी या डिबेंचर, बाँड या किसी अन्य लिखित के रूप में
mxkgh x;h jkf'k;
- (ii) किसी फर्म के भागीदारों के द्वारा पूँजी के रूप में अभिदत्त
jkf'k;
- (iii) अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा-5 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी से प्राप्त राशि;
- (iv) निम्नलिखित से प्राप्त कोई राशि-
(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
(ख) राज्य वित्तीय निगम,
(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 की धारा-6 क में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय
laLFkk;
- (v) कारबार के सामान्य अनुक्रम में निम्नलिखित रूप में प्राप्त
jkf'k&
(क) प्रतिभूति जमा,
(ख) व्यवहारी जमा,
(ग) अग्रिम धन,
(घ) आदिष्ट माल या सेवा के विरुद्ध दिया गया अग्रिम;
- (vi) राज्य में तत्समय प्रवृत्त साहूकारी से संबंधित किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति या फर्म या व्यष्टि-संगम, जो नियमित निकाय नहीं है, से प्राप्त कोई jkf'k; और
- (vii) चिट की बावत अभिदान के रूप में प्राप्त कोई राशि।
- & I -“चिट” से वही अभिप्रेत है, जो चिट फंड अधिनियम 1982 के खंड (ख) की धारा-2 के v/khu fu;r fd;k x;k gSA

&II - किसी बिक्रेता द्वारा किसी सम्पत्ति (चल या अचल) की बिक्री पर क्रेता को दिये गये किसी उधार को इस खण्ड के प्रयोजनार्थ जमा नहीं

le>k tk;sxkA

(घ) “वित्तीय स्थापना” से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसमें व्यक्ति-संगम, शामिल है, चाहे वह जिस रूप से कार्य परिचालन करते हो, फर्म या कम्पनी- जो किसी स्कीम या व्यवस्था के तहत अथवा किसी अन्य प्रकार से जमा का प्रतिग्रहण करता है किन्तु इसमें राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा विनियमन अधिनियम 1949 की धारा-5 के खण्ड (ग) के अधीन परिभाषित किसी बैंकिंग कम्पनी द्वारा स्वत्वाधिकृत या नियंत्रित निगम या सहकारी समिति

'kkfey ugha gSA

(ङ) “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार।

(च) “विहित” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन विहित।

(1) जब कोई वित्तीय स्थापना जो परिपक्वता पर जमा का प्रतिसंदाय सूद बोनस लाभ के रूप में या यथा प्रतिज्ञात किसी अन्य रूप में fdlh Qk;ns lfgr nsus esa O;frØe djrh gS ;k tek ds fo:) vk'okflr

सेवा मुहैया कराने में बेईमानी से विफल रहती है, वैसी वित्तीय स्थापना के कारबार या काम-काज के प्रबन्धन या संचालन के लिए उत्तरदायी हर व्यक्ति, जिसमें संपर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक अन्य कोई व्यक्ति अथवा कर्मचारी शामिल है, सिद्ध दोष होने पर दस वर्ष तक के लिए कारावास एवं एक लाख रूपये तक या जहाँ ऐसा व्यतिक्रम धन की निर्धारणीय रकम से संबंधित हो, वहाँ व्यतिक्रम की राशि की दूनी रकम, जो भी अधिक हो, के जुर्माने से nafMr fd;k tk;sxk(ijUrq U;k;ky; ds fu.kZ; esa vfHkfyf[kr fd;s जाने वाले विशेष एवं पर्याप्त कारणों के अभाव में तीन वर्षों के कारावास एवं पचास हजार रूपये से कम जुर्माने की सजा नहीं होगी।

इस धारा के प्रयोजनार्थ ऐसी वित्तीय स्थापना की जो सूद के रूप में फायदा के साथ किसी जमा, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में दिये गए वचन के सहित प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम करे अथवा ऐसी जमा के लिए सहमत कोई विनिर्दिष्ट सेवा मुहैया कराने में किसी एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ एवं अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाने के आशय से विफल हो अथवा जमा के प्रतिग्रहण के समय की गई अव्यवहारिक या वाणिज्यिक तौर पर अव्यवहार्य वयन ds QyLo:i vFkok tek ls vftZr /ku ,oa vkfLr;kj ds bl jhfir से अभिनियोजन से, जब उसकी आवश्यकता हो एवं उसकी वसूली में अन्तर्निहित जोखिम अन्तर्ग्रस्त हो, उत्पन्न अपनी अक्षमता के कारण ऐसा व्यतिक्रम करती हो, विनिर्दिष्ट सेवा देने में कपटपूर्वक O;frØe ;k foQyrk le>h tk;sxhA

II

जब यह प्रश्न उठे कि किसी वित्तीय स्थापना ने इस धारा के अभिप्रेत अन्तर्गत कपटपूर्ण व्यतिक्रम किया है या नहीं तब न्यायालय ऐसी उपधारणा करेगा कि वित्तीय स्थापना कपटपूर्वक व्यतिक्रम की gSA

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी-

(i) जमाकर्त्ताओं से या अन्यथा प्राप्त शिकायत पर जब सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई वित्तीय स्थापना निम्नलिखित को करने में विफल हो चुकी है-

(क) परिपक्वता के बाद या जमाकर्त्ताओं द्वारा मांग किये जाने ij tek okil djus;

(ख) सूद या अन्य आश्वासित फायदा देने;

(ग) ऐसी जमा के विरुद्ध वचनवद्ध सेवा देने।

(ii) जहाँ सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वित्तीय स्थापना जमाकर्त्ताओं को धोखा देने के आशय से प्रकल्पित रीति से उनके हित के लिए हानिकर कार्य कर

रही है, और यदि सरकार का यह समाधान हो जाये कि ऐसी वित्तीय स्थापना द्वारा जमा के वापसी या सूद का

भुगतान या अन्य आश्वासीत फायदे का भुगतान
 अथवा उन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली नहीं है
 जिनके लिए जमा प्राप्त किया गया है, तो ऐसी
 वित्तीय स्थापना के जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के
 लिए, कारणों को लिखित रूप अभिलिखित करने के
 बाद वह राजपत्र में प्रकाशन द्वारा ऐसे धन या अन्य
 सम्पत्ति, जिसके संबंध में विश्वास हो कि उस
 वित्तीय स्थापना द्वारा या तो अपने नाम से या किसी
 अन्य व्यक्ति के नाम से वित्तीय स्थापनाओं द्वारा
 संग्रहित जमा से अर्जित किया है तो उसे अथवा यदि यह
 प्रकट होता है कि धन या सम्पत्ति कुर्की के fy,
 miyC/k ugha gS

या जमा की प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उक्त
 वित्तीय स्थापना या संप्रवर्तक, निदेशक, भागीदार या
 प्रबंधक अथवा उक्त वित्तीय स्थापना के सदस्यों को उस
 सम्पत्ति की, ftls ljdkj mi;qZDr le>s dqdZ djrs gq,
 jkti= esa प्रकाशित करते हुए एक आदेश निर्गत कर
 सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश के प्रकाशन पर वित्तीय
 स्थापना एवं उसमें उल्लेखित व्यक्तियों की सारी
 सम्पत्ति एवं आस्तियाँ rRdky vfHkfgr U;k;ky; ds
 vxys vkns'k rd ljdkj }kjk नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में
 निहित हो जायेगी।

(3) किसी अन्य विधि में विशेष रूप में जैसा अन्यथा उपबंधित
 हो, उसके सिवाय, कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश
 21 fu;e 43] 43d] 46] 47] 49] 50] 51 ,oa 54 ds v/khu
 fMØh के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की के लिए
 उपबंधित रीति से dh tk;sxhA

(1) धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन आदेश निर्गत करते समय
 सरकार अपने किसी पदाधिकारी को जो समाहर्ता से अन्यून
 पंक्ति के हो, की धारा-4 के अधीन सरकार द्वारा कुर्क वित्तीय
 LFkkiuk ds /ku ,oa lEifÜk ij fu;a=.k djus gsrq l{ke

प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) नियुक्ति के आदेश प्राप्त होने पर, सक्षम पदाधिकारी अविलंब ऐसी सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा जो संबंधित वित्तीय स्थापना की सभी धन एवं आस्तियों का वस्तुगत कब्जा में लेने के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो और सक्षम पदाधिकारी को सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी जो पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ आवश्यक हों।

(3) सक्षम प्राधिकारी उक्त आदेश के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर अभिहित न्यायालय में उन आधारों का कथन द्रष्टव्य, तथैव us /kkjk&4 ds rgr vkns'k fuxZr किया है और धन या अन्य सम्पत्ति जिसके संबंध में विश्वास किया गया है, कि जमा से अर्जित की गयी है और उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, जिनके नाम पर या उससे सम्पत्ति ds fofufgr fd;s tkus ;k vftZr fd;s tkus dk fo'okl अथवा धारा-4 के अधीन कुर्क की गयी कोई अन्य सम्पत्ति का विवरण अथवा ऐसे किसी आदेश का, जो आवश्यक पाया जाय के लिए एक या अधिक शपथपत्रों के साथ आवेदन करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य सरकार की विधि के अधीन, किसी वित्तीय स्थापना के किसी धन या सम्पत्ति से संबंधित fdlh fookn~;d ;k fo"k;oLrq esa U;k;&fu.kZ; djus ds fy, समरूप अधिनियमिति के अधीन गठित या शक्तियों से न्यस्त fdlh vfHkfgR U;k;ky; ;k fdlh vU; U;kf;d फोरम/प्राधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन, अधिसूचित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के, उस प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित, धन या सम्पत्ति के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए भी आवेदन dj ldsxkA

(5) उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित का हकदार होगा-

(क) किसी भी आरक्षी प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति

से सहायता की अपेक्षा करने और ऐसी अपेक्षा किये जाने पर

आरक्षी प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति का आवश्यक सहायता देना कर्तव्य होगा;

(ख) सक्षम प्राधिकारी की हैसियत से प्राप्त धन का निपटाव करते समय किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में खाता खोलने एवं वसूल किये गये सभी धन जमा करने और बैंक खाते का

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति से, जिनका वित्तीय स्थापना की किसी धन या आस्तियों पर कब्जा या नियंत्रण होने का विश्वास होने

प्राधिकारी को देने की अपेक्षा करने और वह व्यक्ति कोई

(घ) किसी विधि व्यवसायी या चार्टर्ड एकाउन्टेंट या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने, जिनकी सेवाएँ वित्तीय स्थापना की आस्तियों को कब्जा में लेने या वसूली के लिए आवश्यक हो;

(ङ) वित्तीय स्थापना या उसके नियंत्रणाधीन किसी विपणन प्रतिभूति या पराकाम्य लिखत का बिक्रय, प्राप्ति, अंतरण, पृष्ठांकन, पराक्रमण करने या अन्यथा संव्यवहार करने और उसका समुचित उन्मोचन करने,

(च) सार्वजनिक नीलामी या अभिहित न्यायालय के पूर्व अनुमोदन से निजी व्यवस्था के द्वारा वित्तीय स्थापना का या उसके

(छ) से भुगतान करनेय और

(ज) वित्तीय स्थापना की सम्पत्ति की त्वरित वसूली के लिए आवश्यक सभी एवं प्रत्येक कार्य या कृत्य करने;

को आत्यंतिक किये जाने या धारा-8 के अधीन

पुनरीक्षित कुर्की आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व, चल सम्पत्तियों का

- (6) सक्षम प्राधिकारी, वसूले गये धन से जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने हेतु अनुमति के लिए अभिहित न्यायालय को समय-समय पर आवेदन देगा। ऐसा आवेदन देते समय, सक्षम प्राधिकारी जमाकर्त्ताओं के दायित्व एवं अन्य दायित्वों का निर्धारण कर लेगा और वसूले गये या वसूलनीय धन को सम्पूर्ण दायित्वों को पूरा करने के लिए, पर्याप्त नहीं होने की दशा में जमाकर्त्ताओं तथा अन्य लेनदारों को आंशिक भुगतान करने की अनुमति के लिए अभिहित न्यायालय से निवेदन करेगा और अभिहित
- U;k;ky; ds vkns'k ds vuqlkj /ku laforfjr djsxkA
- इस धारा के प्रयोजनार्थ “वित्तीय स्थापना” अभिव्यक्ति में उक्त स्थापना के निवेशक, प्रवर्तक, प्रबंधक या सदस्य अथवा किसी vU; O;fDr] ftudh lEifUk ;k vkfLr;k; /kkjk&3 ds v/khu कुर्क की गई हो, सम्मिलित हैं।
- (1) सक्षम प्राधिकारी अपनी नियुक्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर वित्तीय स्थापना की आस्तियों और जमा दायित्वों का निर्धारण करेगा और उसका विवरण अभिहित न्यायालय को भेज देगा।
- (2) सक्षम प्राधिकारी तत्पश्चात प्रतिभूत लेनदारों से यदि हों और वित्तीय स्थापना के जमाकर्त्ताओं से भी अपने दावें तथा दावा स्थापित करने के लिए उचित सबूत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हुए व्यक्तिशः या प्रकाशन के प्रभावी प्रचार ek;/e ls lwpuk fuxZr djsxkA
- (3) उप धारा-(2) के अधीन दावेदार को भेजी गई या भेजी गई समझी जाने वाली प्रत्येक सूचना में यह अभिकथित किया जायेगा कि दावा का विवरण सक्षम प्राधिकारी को, यदि सूचना की तिथि से एक महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व नहीं भेजा गया तो, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन दावे को, Hkqxrku ikus ds gdnkj nkok ugha ekuk tk;sxkA

- (4) प्रतिभूति लेनदार को भेजी गई प्रत्येक सूचना में उनसे, सूचना की तिथि से एक महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिभूति का मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसी सूचना में यह भी अभिकथित किया जायेगा कि यदि सक्षम प्राधिकारी को प्रतिभूति के मूल्यांकन के साथ-साथ दावे का विवरण नहीं भेजा जाता है तो सक्षम प्राधिकारी स्वयं प्रतिभूति का मूल्यांकन करेंगे और उनके मूल्यांकन ऐसे प्रतिभूत लेनदार पर बाध्यकारी होगा।
- (5) दावेदार यदि सूचना के अनुपालन में असफल होता है तो उपधारा (4) के अनुसार ऐसी प्रतिभूति का मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उनके श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार, किया जायेगा।

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, सरकार उच्च न्यायालय, पटना के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, lgk;d ls'ku U;k;k/kh'k lfgr v/khuLFk U;k;k/kh'k ds laoxZ में, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग¹¹

या समूह के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, एक या एक से अधिक अभिहित न्यायालय का गठन कर ldsxhA

- (2) अभिहित न्यायालय से भिन्न अन्य किसी न्यायालय जिसमें प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम 1909 एवं प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अधीन गठित न्यायालय सम्मिलित है, को ऐसी किसी विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी जिसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अवलंब लिये गए हों।
- (3) अन्य किसी न्यायालय में लम्बित कोई मामला जिसपर इस अधिनियम के उपबंध लागू हों इस अधिनियम के प्रकाशन की तिथि से अभिहित न्यायालय में अन्तरित हो जायेगा।
- (1) धारा-5 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, अभिहित न्यायालय, वित्तीय स्थापना या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति धारा-4 के अधीन सरकार द्वारा कुर्क

की गई हो और सक्षम प्राधिकारी में निहित की गई हो, आवेदन के प्रति एवं शपथ-पत्र तथा साक्ष्य, यदि अभिलिखित हो, के साथ उक्त स्थापना एवं उक्त व्यक्ति को सूचना में, विनिर्दिष्ट तिथि को dkj.k crkus gsrq] cqykus ds fy, ,d lwpuk tkjh djsxk fd कुर्की के आदेश को क्यों नहीं आत्यंतिक कर दिया जाय।

(2) अभिहित न्यायालय उन सभी व्यक्तियों को भी ऐसी सूचना जारी करेगा जिन्हें उपधारा (1) के अधीन जिन वित्तीय स्थापना या व्यक्ति को नोटिस जारी की गयी हो एवं उनकी सम्पत्ति में हित या हक रखने वाले या संभाव्य दावेदार के रूप में प्रतिनिधित्व किया हो और ऐसे सभी व्यक्तियों को उसी तिथि को, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट हो, उपस्थित होने के लिए

एवं यदि वे चाहे, सम्पत्ति या उसके किसी भाग की कुर्की पर bl vk/kkj ij vkifÜk djus ds fy, fd ,slh lEifÜk ;k उसके किसी भाग में उनका हित है।

(3) कुर्क की गयी सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उस बात के होते हुए कि इस धारा के अधीन कोई सूचना उसे तामील नहीं की गई है, अभिहित न्यायालय में उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय उपर्युक्त रूप esa vkifÜk dj ldsxkA

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन कोई कारण नहीं दर्शाया गया या आपत्ति नहीं की गयी तो अभिहित न्यायालय तुरंत कुर्की के आदेश को आत्यंतिक करते हुए एक आदेश पारित करेगा एवं कुर्क की गयी आस्तियों की वसूली तथा कुर्क की गयी सम्पत्ति से वसूले गये धन को जमाकर्ताओं के बीच साम्यपूर्ण वितरण gsrq] ;Fkk vko';d] funs'k tkjh djsxkA

(5) यदि, उपर्युक्त, रूप में कारण दर्शाया गया या कोई आपत्ति की गयी हो तो अभिहित न्यायालय उसके अन्वेषण की कार्रवाई आरम्भ करेगा एवं ऐसा करते समय पक्षकारों के परीक्षण के संबंध में एवं अन्य सभी बातों में अभिहित न्यायालय,

इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन आदेश 37 में यथा अनुध्यात संक्षिप्त प्रक्रिया dk vuqlj.k djsxk ,oa mDr lafgrk ds v/khu fdlh okn dh सुनवाई में न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा vkifÜk djus okys O;fDr ls ;g n'kkZus ds fy, lk {; is'k करने की अपेक्षा की जायेगी कि कुर्की की तारीख को कुर्क की गयी सम्पत्ति में उनका कोई हित था।

(6) उपधारा (5) के अधीन अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय या तो धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन पारित कुर्की के आदेश को आत्यंतिक हुए या सम्पत्ति के किसी भाग को कुर्की से निर्मुक्ति द्वारा बदलते हुए या कुर्की के आदेश को jn~n djrs gq, ,d vkns'k ikfjr djsxk % परन्तु अभिहित न्यायालय ऐसे किसी हित को, तब तक कुर्की से विमुक्त नहीं करेगा जिसमें उसका समाधान हो गया हो कि उपधारा (1) में निर्देशित वित्तीय स्थापना या व्यक्ति का उस सम्पत्ति में हित है, जबतक इसका भी समाधान न हो जाय कि dqdhZ ds v/khu ckdh cpus okyh jkf'k ;k lEifÜk dk ewY; वित्तीय स्थापना के जमाकर्ताओं को प्रतिसंदाय के लिए अपेक्षित मूल्य से कम नहीं होगा।

(7) जहाँ आवेदन किसी ऐसी व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, जिन्हें किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा समरूप अधिनियमिति के अधीन ,slh ljdkj }kjk dqdZ dh xbZ /ku ;k lEifÜk ij fu;a=.k हेतु उसे सशक्त करते हुए सम्यक-रूप से प्राधिकृत, नियत या विनिर्दिष्ट किया गया हो, वहाँ अभिहित न्यायालय अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा मानों आवेदन इसी अधिनियम के अधीन दिया गया हो और ऐसे आवेदन पर leqfpr vkns'k ;k funs'k ikfjr djsxkA

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशाली करने के लिए अभिहित न्यायालय को सभी शक्तियाँ होंगी।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अभिहित U;k;ky;&

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी को कोई भी निदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा;

(ख) विभिन्न देनदारों से शोध वित्तीय स्थापना के शोध विवरणी को अनुमोदित, वित्तीय स्थापना के आस्तियों का मूल्य निर्धारण कर सकेगा और जमाकर्त्ताओं की सूची एवं उनके शोध को अन्तिम रूप

(ग) सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय स्थापना की या उसके नियंत्रणाधीन किसी भी आस्तियों को कब्जा में लेने का निदेश दे सकेगा और कुर्क की गई आस्तियों के बिक्रय, अन्तरण या वसूली, या तो लोकनीलाम द्वारा या आस्तियों के स्वरूप के अनुसार निजी बिक्रय द्वारा करने का जैसा वह ठीक समझे एवं बिक्री-आगम को बैंक

[kkrs esa tek djus dk funs'k ns ldsxk(

(घ) वित्तीय स्थापना की आस्तियों को कब्जा में लेने एवं वसूली के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपगत किये जाने वाले आवश्यक व्यय को अनुमोदित कर सकेगा;

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जमाकर्त्ताओं को भुगतान के लिए आदेश दे सकेगा या इस प्रकार वसूला गया धन सम्पूर्ण जमा दायित्वों की पूर्ति करने में अपर्याप्त होने की स्थिति में जमाकर्त्ताओं को

(च) कम्पनी की आस्तियों की वसूली के लिए एवं वित्तीय स्थापना के जमाकर्त्ताओं को प्रतिसंदाय के लिए या इससे आनुवंशिक किसी भी विषय या विवाद पर कोई भी आदेश, अभिहित न्यायालय, जो

इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "वित्तीय स्थापना" esa mDr स्थापना के निदेशक, प्रवर्तक, प्रबन्धक या सदस्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिनकी आस्तियों या सम्पति धारा-3 के अधीन कुर्क की गई हो, सम्मिलित है।

(1) जहाँ धारा-4 में निर्देशित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति की vkfLr;k; dqdhZ ds fy, miyC/k ml jkf'k ;k ewY; ls de ik;h जाय जो वित्तीय स्थापना द्वारा जमाकर्त्ताओं को प्रतिसंदाय करना अपेक्षित हो और जहाँ शपथपत्र या अन्यथा द्वारा अभिहित

न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि उक्त वित्तीय स्थापना सद्भावपूर्ण और पर्याप्त प्रतिफल से अन्यथा किसी भी सम्पत्ति को अन्तरित (चाहे इस अधिनियम के आरम्भ होने के बाद या पहले) कर दिया है तो अभिहित न्यायालय, सूचना द्वारा, ऐसी सम्पत्ति के अन्तरिती से (चाहे उसने सम्पत्ति उक्त वित्तीय स्थापना से प्रत्यक्षतः प्राप्त किया हो या नहीं) सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होकर कारण दर्शाने की अपेक्षा कर सकेगा कि अन्तरिती की सम्पत्ति की उतनी मात्रा जो अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो, को क्यों नहीं कुर्क कर fy;k tk;A

(2) जहाँ, उक्त अन्तरिती विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थिति नहीं हो और कारण नहीं दर्शाये या जहाँ धारा- 7 की उपधारा (5) में उपबंधित रीति से अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय का समाधान हो जाय कि उक्त अन्तरिती को सम्पत्ति का अन्तरण सद्भावपूर्ण और पर्याप्त प्रतिफल के लिए नहीं किया गया था तो अभिहित न्यायालय उक्त अन्तरिती की उतनी सम्पत्ति की, जो अभिहित न्यायालय की 16 राय में अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो, कुर्की का vkns'k ikfjr djsxkA

किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई हो या कुर्क किये जाने हेतु प्रस्तावित हो, किसी भी समय अभिहित न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के बदले प्रतिभूति nsus dh vuqefr ds fy, vkosnu dj ldsxk ,oa tgk; vkWQj dh गई एवं दी गई प्रतिभूति, अभिहित न्यायालय की राय में, संतोषप्रद एवं पर्याप्त हो यह यथास्थिति कुर्की आदेश को रद्द कर सकेगा या पारित करने से विरत हो सकेगा।

अभिहित न्यायालय, कुर्क की गयी एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित किसी सम्पत्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दे सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित dj ldsxk ftls og fuEufyf[kr ds fy, U;k;laxr ,oa ;qfDr;qDr fopkj djsa %&

(क) ऐसी कुर्क की गई एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित सम्पत्ति से वह रकम, जिसमें आवेदक हित होने का दावा करता है आवेदक एवं उनके परिवार के भरण-पोषण एवं जहाँ अभिहित न्यायालय में धारा-3 के अधीन आवेदक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संस्थित किया गया हो वहाँ उनकी अपने बचाव से संबंधित व्यय के लिए जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, उपबंध करने हेतु।

(ख) जहाँ तक व्यवहार्य हो, कुर्की से प्रभावित किसी कारबार के हितों की, विशिष्टतः ऐसे कारबार के भागीदार के हितों की रक्षा करने gsrqA

(1) कुर्की से संबंधित एवं कुर्की के संबंध में अभिहित न्यायालय द्वारा ikfjr vafre vkns'k ds fo:) vafre vkns'k ikfjr fd;s tkus ds 60 दिनों के भीतर संबद्ध क्षेत्र के उच्च न्यायालय के समक्ष अपील fd;k tk ldsxkA

(2) अभिहित न्यायालय के विचारण में सिद्धदोष व्यक्ति संबद्ध क्षेत्र के mPp U;k;ky; esa vihy dj ldsxkA

सरकार, अभिहित न्यायालय में मामले का संचालन के प्रयाजनार्थ एक या एक से अधिक अधिवक्ताओं को, जिनका व्यवसाय विशेष लोक अभियोजक/विशेष सरकारी वकील के रूप में 7 वर्षों से कम का नहीं हो, सम्बद्ध जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श ls] vkns'k }kjk fu;qDr dj ldsxhA

(1) अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले तथ्यों पर पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन कर या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा शिकायत किये जाने पर, अपराधी को विचारणार्थ उन्हें सुपूर्द किये गये बिना अपराध का laKku ys ldsxkA

(2) अपराधी व्यक्ति का विचारण करते समय, अभिहित न्यायालय, वारंट मामला के अपराधों के विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(3) अभिहित न्यायालय, अपने पास भेजे गये व्यक्ति के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा- 167 एवं 309 के अधीन, यथा उपबंधित, प्रतिवेशण की शक्ति का प्रयोग करेगा।

(4) अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन अपराध विचार करते समय, इस अधिनियम के अधीन अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा, जिसके लिए अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में दोषारोपित किया गया हो।

(5) (क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(ख) इस अधिनियम के अधीन अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्याधीन जमानत के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXXIII के अधीन यथा उपबंधित उपबंध, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-438 के अधीन, यथा उपबंधित पूर्वाशित जमानत मंजूर करने के प्रावधान को छोड़कर लागू होगा।

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधियों में इससे असंगत किसी बात या रूढ़ि या प्रथा के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा।

इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए सरकार या सक्षम प्राधिकारी या सरकार के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई बाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

(1) इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनायी गई प्रत्येक नियमावली, बनाये जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष कुल तीस दिनों की सत्रावधि के दौरान, जो एक ही सत्र या दो लगातार सत्र में समाविष्ट हो सकता हो, रखी जायगी एवं यदि जिस सत्र के दौरान इसे रखा गया है उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा ठीक पश्चातवर्ती सत्र में, दोनों सदन नियमावली में किसी उपान्तरण के लिए सहमत हो जायें या दोनों सदन नियमावली नहीं बनाए जाने के लिए सहमत हो जायें एवं उस प्रभाव के उनके निर्णय को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है तो वह विधि राजपत्र में ऐसे निर्णय के प्रकाशन की तिथि से,

यथास्थिति, मात्र ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी। किन्तु ऐसे उपान्तरण या वातिलीकरण इस नियमावली के अधीन पूर्व में की गई या विलोपित की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार ऐसी कठिनाई उत्पन्न होते ही, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, एवं कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, कुछ भी कर सकेगी।

10 flracj 2002

सं० एल जी० 1-0812002-लेज-258-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 4 सितंबर, 2002 को अनुमत बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2002 को निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार।

[BIHAR ACT, 18, 2002]

The Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishments), Act, 2002

AN

ACT

To protect the interest of Depositors of the Financial Establishments and matters relating thereto.

Be in enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Fifty Third Year of the Republic of India as follows, namely

1.Short title and Commencement:

(1) This Act may be called the Bihar Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishment) Act, 2002.

- (2) It shall extend to whole of the State of Bihar (3)
It shall come into force at once.

2. Definitions :

In this Act unless the context otherwise requires:

- (a) "Competent Authority" means the Competent Authority appointed under section 5;
- (b) Designated Court means the Designated Court constituted under section 7;
- (c) "deposit" includes and shall be deemed always to have included any receipt of money or acceptance of any valuable commodity by any Financial Establishment to be returned after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the form of interest, bonus, profit or in any other form, but does not include-
- (i) amount raised by way of share capital or by way of debenture, bond or any other instrument covered under the guidelines given, and regulation made, by the "SEBI", established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
- (ii) amount contributed as capital by partners of a firm;
- (iii) amount received from a schedule bank or a co-operative bank or any other banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 : (10 of 1949);
- (iv) Any amount received from-
- (a) the Industrial Development Bank of India (b) a State Financial Corporation,
- (c) any financial institution specified in or under section 6A of the industrial Development Bank of India Act, 1964; (v) amount received in the ordinary course of business by way of-
- (a) security deposit
- (b) dealership deposit
- (c) earnest money
- (d) advance against order for goods or services;
- (vi) any amount received from an individual or a firm or an association of individuals nor being a body

corporate, registered under any enactment relating to money lending which is for time being in force in the State; and
 (vii) any amount received by way of subscriptions in respect of Chit.

Explanation-I

"Chit has the meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Chit Funds Act, 1982;

Explanation-II

Any credit given by a seller to a buyer on the sale of any property (whether moveable or immovable) shall not be deemed to be deposit for the purpose of this clause.

- (d) "Financial Establishment" means any person including association of persons in whatever form it operates, a firm or a company accepting deposit under any scheme or arrangement or in any other manner but does not include a corporation or a co-operative society owned or controlled by any State Government or the Central Government or a banking company as defined under clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949
- (e) "Government" means the Government of Bihar
- (f) "prescribed" means prescribed under the Rules.

3. Fraudulent default by Financial Establishment:

Where any Financial Establishment, having fraudulently or dishonestly, defaults in repayment of any deposit on maturity along with any benefit in the form of interest, bonus or profit, or in any other form as promised or fraudulently or dishonestly fails to render service as assured against the deposit, the Financial Establishment and every person including the promoter, partner, director, manager or any other person or any employee responsible for the management of or conducting the business or affairs of such Financial Establishment shall, on convention, be punished

26

with imprisonment for term up to ten years and with fine up to ten years and with fine up to one lakh of rupees or where such default relates to a quantifiable sum of money twice amount of such, some whichever is more:

Provided that in absence of special and adequate reasons to be recorded in judgement the Court, the imprisonment shall not be for less than three years and the fine shall not be less than fifty thousand rupees.

Explanation-I

For the purpose of this section, a Financial Establishment, which commits default in repayment of any deposit with such benefits in the terms of interest, bonus, profit or in any other term as promised of falls

to render any specified service agreed against the deposit with an intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person or commits such defaults due to its inability arising out of impracticability of commercially not viable promises made while accepting such deposits or arising out of development of money or assets acquired out of the deposits in such a manner as it involves inherent risk in recovering the same when needed, shall be deemed to have committed a default or failed to render the specific service, fraudulently.

Explanation-II:

When a question arises whether any Financial Establishment has committed fraudulent default within the meaning of this section, the Court shall presume that such Financial Establishment has committed the default fraudulently.

4.Attachment of properties on default of return of deposits: (1)

Notwithstanding any thing contained in any other law for the time being in force.

(i) Where upon complaints received from the depositors or otherwise the Government is satisfied that any Financial Establishment has failed:

(a) To return the deposit after maturity on demand by the depositors; or

(b)

To pay interest or other assured benefits; or (c) To provide the service promised against such deposit; or

(ii) Where the Government has reason to believe that any Financial Establishment is acting in a manner detrimental to the interest of the depositors with an intention to defraud them and if the Government is satisfied that such Financial Establishment is not likely to, return the deposits or make payment of interest or other benefits assured or to provide the service against the deposit is received, the Government may, in order to protect the interest of the depositors of such Financial Establishments, after recording reasons, in writing, issue an order b) publishing it in the Official Gazette, attaching the money or other property believed to have been acquired by such Financial Establishment either in its own name or in the name of any other person

from out of the deposits collected by the Financial Establishment, or if it transpires that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment of the deposits, such other property of the said

Financial Establishment or the promoter, director, partner or manager or member of the said Financial Establishment as the Government may deem fit.

(2) On the publication of the order under sub-section (i) all the properties and assets of the Financial Establishment and the persons mentioned therein shall forthwith vest in the Competent Authority appointed by the Government, pending further order from the Designated Court.

(3) Save and otherwise specially provided in any other law the attachment shall be made in the manner provided for attachment of property in execution of a decree under order 21 Rules 43, 43A, 46, 47, 49, 50, 51 and 54 of the Code of Civil Procedure.

5.Appointment, Duties and Power of Competent Authority :

(1) The Government may while issuing the order under sub-section (1) of section 4, appoint any of its officers not below the rank of the Collector as the Competent Authority to exercise control over the moneys and the

properties attachment by the Government under section 4 of a Financial Establishment.

(2) On receipt of order of appointment, the Competent Authority shall take such necessary actions as are necessary or expedient for taking physical possession of all the moneys and assets of the concerned financial establishment expeditiously and the Competent Authority shall have all the powers which are necessary for the aforesaid purpose.

(3) The Competent Authority shall apply within thirty days from the date of the publication of the said Order, to the Designated Court, supported by one or more

affidavits stating the grounds on which the Government has issued the said order under section 4 and the amount of money or other property believed to have been acquired out of the deposits and the details, if any, of persons in whose name such property is believed to have been invested or acquired or any other property attached under section 4, for such further orders as found necessary.

(4) The Competent Authority may also make an application to any Designated Court or any other judicial forum/authority constituted or entrusted with the powers under any other State Government Law for adjudicating any issue or subject matter pertaining to any money or property of a Financial

Establishment under similar enactment in respect of money and property belonging to Financial Establishment or person notified under this Act situated within the territorial jurisdiction of that authority for appropriate orders to give effect to be provision of this Act.

(5) Without prejudice to the generality of the powers vested under sub-section (i) the Competent Authority shall be entitled to;

- (a) require assistance of any police authority or any other authority or person and on such requisition it shall be the duty of the police authority or such other authority or person to extend necessary assistance'
- (b) open bank accounts in any scheduled commercial bank and credit all moneys realised and operate the bank accounts while dealing with the money received in his capacity as Competent Authority;
- (c) require any person believed to be in possession or control over any money or assets of the financial establishment, to furnish necessary information, to hand over possession of such assets to the Competent Authority and such person shall comply with the requisition without any loss of time;
- (d) appoint legal practitioner or Chartered Accountant or any other person whose services are necessary for taking possession of assets and realisation of the assets of the financial establishment;
- (e) sell, receive, transfer, endorse, negotiate or otherwise deal with any marketable security or negotiable instrument belonging to or in the control of the financial establishment and give proper discharge for the same;
- (f) ेमससए जतंदेमिit व िवजीमतूपेम तमंसप्रम ंदल उवअंइसम वत
immovable property belonging to or in the control of the financial establishment either by public auction or with private arrangements;
- (g) make payment as per the orders passed by the Designated Court from out of the bank accounts, and
- (h) do all and every acts and deeds which would be

necessary for the speedy realisation of the assets of the financial establishment'

Provided that the sales and transfers of movable properties should not be done before the attachments issued by the Government absolute or has issued a revised attachment order under Section-8.

- (6) The Competent Authority shall make applications from time to time to the Designated Court seeking permission to make payments to the depositors from वनज व िजीम उवदमल तमंसप्रमकण् ीपसम उंापदह ेनबी applications, the money realised. While making such applications, the Competent Authority shall assess the liability to the depositors and the other liabilities and पद बेिम जीम उवदमल तमंसप्रमक वत तमंसप्रइसम पे दवज sufficient to meet the entire liability, make a submission to the Designated Court seeking permission for making part payment to the depositors and to other creditors and disburse the money as per the order of the Designated Court seeking permission 32 for making part payment to the depositors and to other creditors and disburse the money as per the order of the Designated Court.

Explanation:

For the purpose of this section, the expression "financial establishment" includes the directors, promoters, managers or member of said establishment or any other person whose property or assets have been attached under section 4.

6.Assessment of assets and deposit liabilities:

- (1) Within thirty days from of his appointment, the Competent Authority shall assess the deposit liabilities and the assests of the financial establishment and submit the statement there of to the Designated Court.
- (2) The Competent Authority, thereafter, shall issue notice either individually or by means of effective media publication, inviting the claims by secured creditors, if any, and also the depositors of the financial establishment to submit their claims with proper proof to establish the same.
- (3) Every notice under sub section (2) sent to or deemed to have been sent to claimants shall state that if the statement or claim is not sent to the Competent Authority before the expiry of the period of one month from the date of notice the

claims shall not be treated as claim entitled to be paid under the provision of this Act.

(4) Every notice sent to a secured creditor shall require him to value the security before the expiry of the period of one month from the date of the notice and such

notice shall also state that if the statement of the claim together with the valuation of the security is not sent to the Competent Authority, the Competent Authority himself shall value the security and his valuation shall be binding on such secured creditors.

(5) If the claimant fails to comply with the notice as per the sub section (4), such security shall be valued by the Competent Authority in his best judgment.

7.Designated Court:

(1) For the purpose of this Act, the Government may, with the concurrence of the Chief Justice of the Patna High Court, by notification in the Official Gazettem constitute one or more Designated Courts in the cadre of Subordinate Judge including Assistant sessions Judge for such area of areas or for such case or class or group of cases, as maybe specified in the notification.

(2) No court, including the court constitute under the Presidency Towns Insolvency Act, 1909 and the Provincial Insolvency Act. 1920, other than the Designated Court, shall have jurisdiction in respect of any matter to which the provisions of this Act are invoked.

(3) Any pending case in any other court to which the provisions of this Act apply shall, on the date of publication of this Act, stand transferred to the Designated Court.

8.Powers of Designated Court regarding attachment:

(1) Upon receipt of an application under section 5, the Designated Court shall issue to the Financial Establishment or to any other person whose property is attached and vested in the Competent Authority by the Government under section 4, a notice accompanied by copy of the application arid of affidavits and the evidence, if any recorded, calling upon the said Establishment and the said person to show cause on a date to be specified in the notice, why the order of attachment should not be made absolute.

(2) The Designated Court shall also issue such notice to all other persons represented to is as having or being likely to claim any Interest or

title in the property of the Financial Establishment of the person to whom the notice is issued under sub-section (i), calling upon all such persons to appear on the same date as that specified in the notice and make objection if they so desire to the attachment of the property or any portion thereof, on the ground that they have interest in such property of portion thereof.

(3) Any person claiming an interest in the property attached or any portion thereof may, notwithstanding that no notice has been served upon him under this section, make an objection an order is passed under sub-section (4) or sub-section (6).

(4) The Designated Court shall, if no cause is shown and no objection is received under sub-section (3), forthwith pass an order making the order of attachment absolute, and issue any direction as उल इम दमबमेंतल वित तमंसप्रंजपवद व िजीम ेेमजे attached and for the equitable distribution ंउवदह जीम कमचवेपजवते व िजीम उवदमल तमंसप्रमक from out of the property attached.

(5) If cause is shown or any objection is made as aforesaid, the Designated Court shall proceed to investigate the, same and in so doing, as regards the examination of the parties and in all other respect, the Designated Court shall, subject to the provisions of this Act, follow the summary procedure as contemplated under order 37 of the Civil Procedure Code, 1908 and exercise all the powers of a court in hearing a suit under the said Code and any person making on objection shall be required to adduce evidence to show that at the date of the attachment he had some interest in the property attached.

(6) After investigation under sub-section (5), the Designated Court shall pass an order either making the order of attachment passed under sub-section (1) of section 4 absolute or varying it by releasing a portion of the property from

attachment or cancelling the order of attachment:

Provided that the Designated Court shall not release from attachment any interest, which it is satisfied that the Financial Establishment or the person referred to in

sub-section (1) has in the property, unless it is also satisfied that there will remain under attachment an amount or property of value not less than the value that is required for repayment of the deposits of the Financial Establishment.

(7) Where an application is made by any person कनसल ंनजीवतप्रमक वत बवदेजपजनजमक वत ेचमबपिमक इल any other State Government under similar enactment empowering him to exercise control over any money or the property attached by that

Government, the Designated Court shall exercise all its powers as if application is made under this Act and pass appropriate orders or directions on such application.

9. चूमते व िजीम क्मेपहदंजमक ब्वनतज तमहंतकपदह तमंसप्रंजपवद वत assets and payment of depositors:

- (1) The Designated Court shall have all the powers for giving effect to the provisions of this Act.
- (2) Without prejudice to the generality of sub section (1), the Designated Court may-
 - (a) give any direction to the Competent Authority as if deems fit, for effective implementation of the provisions of this Act;
 - (b) approve the statement of dues of the financial establishment due from various debtors, assessment of the value of the assets of the financial establishment, finalise the list of the depositors and their respective dues.
 - (c) direct Competent Authority to take possession of any assets belonging to or in the control of the financial establishment ंदक ेमससए जतंदेमिit वत तमंसप्रम जीम ंजजंबीमक assets either public auction or by private sale as he deems fit depending upon the nature of assests and credit the sale proceed's thereof to the bank accounts:
 - (d) approve the necessary expenditure to be incurred by the Competent Authority for जंापदह चवेेमेेपवद ंदक तमंसप्रंजपवद व िजीम assets of financial establishment;

- (e) order for payment to the depositors by the Competent Authority or order for proportionate payment to the depositors in
जीम मअमदज व िजीम उवदमल ेव तमंसप्रमक
पे दवज sufficient to meet the entire
deposit liability; and
- (f) pass any order which the Designated
ब्वनतज कममडे पिज वित तमंसप्रंजपवद व िजीम
assets of the company and repayment to
the depositors of the financial
establishment or on any matter or issue
incidental thereof.

Explanation:

For the purpose of this section, the expression "financial-establishment" includes the directors, promoters, managers or member of said establishment or any other person whose property or assests have been attached under section 4.

10.Attachment of property of malafide transferees:

- (1) Where the assets available for attachment of a Financial Establishment-or other person referred to in section 4 are found to be less than the

amount or value which such Financial Establishment is required to re-pay to the depositors and where the Designated Court is satisfied by affidavit or otherwise, that there is reasonable cause for believing that the said

Fianancial Establishment has transferred (Whether after the commencement of this Act or not) any of the property otherwise than in good faith and for adequate consideration the Designated Court may by notice require any transferee of such property (whether or not he received the property directly from the said Financial Establishment) to appear on a date to be specified in the notice and show cause why so much of the transferee's property as is equivalent to the proper value of the property transferred should not be attached.

- (2) Where the said transferee does not appear and show cause on the specified date, or where after investigation in the manner provided in sub-section (5) of section 7, the

Designated Court is satisfied that the transfer of the property to the said transferee was not in good faith and for adequate consideration, the Designated Court shall order the attachment of so much of the said transferee's property as is in the opinion of the 39

Designated Court equivalent to the proper value of the property transferred.

11. Security in lieu of attachment :

Any Financial Establishment or person whose property has been or is proposed to be attached under this Act may, at any time, apply to the Designated Court for permission to give security in lieu of such attachment and where the security offered and given is, in the opinion of the Designated Court, satisfactory and sufficient, it may cancel the order of attachment or, as the case may be, refrain from passing an order of attachment.

12. Administration of property attached :

(1) The Designated Court may, on the application of any person interested in any property attached and vested in the Competent Authority, give an opportunity to the person concerned of being heard and make such order as the Designated Court considers just and reasonable for-

(a)

Providing from such of the property attached and vested in the Competent Authority as the applicant claims as interest in, such as may be reasonably necessary for the maintenance of the applicant and of his family, and for the expenses connected with the defence of the applicant where criminal proceedings have been instituted against him in the Designated Court under section 3; and

(b) Safeguarding so far as may be practicable the interests of any business affected by the attachment and in particular, the interests of any partners in such business.

13. Appeal:

(1) An appeal shall lie against the final order passed by the Designated Court in connection with and relation to the attachment before the High Court of the area concerned within 60 days from the date of the final order

(2) Any person convicted on a trial held by the Designated Court may appeal to the High Court of the area concerned.

14. Special Public Prosecutor and Special Government Pleaders:

The Government may, by order appoint one or more Advocates of not having less than 7 years practice as Special Public Prosecutor/Special Judge of the concerned District for the purpose of conduction the cases in the Designated Court.

15. Procedure and powers of designated Court regarding offences:

(1) The Designated Court may on perusal of the police report of the facts constituting an offence under this Act 01 upon a complaints made by an वरिष्ठ निमित्त नजीवतप्रमक पद जीपे इमींस िइल जीम ैजंजम लवअमतदउमदजए जंाम बवहदप्रंदबम व िजीम वरिष्ठ निमित्तदबम without the accused being committed to it for trial.

(2) While trying the accused person the Designated Court shall follow the procedure prescribed in the Code of Criminal Procedure 1973 for the trial of the warrant cases.

(3) The Designated Court will exercise the power of remand with regard to person forwarded to it as provided under Sections 167 and 309 of the Code of Criminal Procedure, 1973

(4) The Designated Court, while trying the offence under this Act, may also try an offence other than the offence under this Act with which, the accused may be charged at the same trial under code of Criminal Procedure, 1973

(5) (a) The offence punishable under this Act shall इम बवहदप्रंदइसमण्

(b) Subject to the provision contained under this Act the provision with regard to bail as provided under Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure shall apply except the provision of grant of anticipatory bail as provided under Section 438 of the Code of Criminal Procedure.

16. Act to override other laws:

Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall. Have effect not withstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force of any custom or usage.

17. Protection of action taken in good faith:

No suit or other proceedings shall lie against the Government or the competent authority or and officer of employee of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

18. Power to make rules:

(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purpose of this Act.

(2) Every Rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree in making any modification in the Rules or both Houses agree that the Rules should not be made, and notify their decision to that effect in the Official Gazette, the rule shall from the date of publication of such decision in the Official Gazette, have effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

19. Power to remove difficulties :

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this act, the Government may, as occasion arises, by order, do anything, not inconsistent with the provisions of this act, which appears to it to be necessary to remove the difficulty.

बिहार राज्यपाल के आदेश से

g0@&

अवर-सचिव, विधि विभाग, बिहार

सं० 365 बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय
स्थापनाओं

में) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या-18) की धारा-18 के
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, बिहार एतद्
द्वारा

निम्नलिखित नियमावली बनाती है -

यह नियमावली बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय

स्थापनाओं में) नियमावली, 2004 कहीं जा सकेगी।

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण

(वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2002

(ख) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है अधिनियम को धारा-5 (1) के

अधीन सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी।

(ग) “समाहर्त्ता से अभिप्रेत है। किसी भी जिले का समाहर्त्ता और इसमें राज्य सरकार द्वारा, इसके लिए प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता

Hkh “kkfey gS A

जिला के समाहर्त्ता अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन अपने जिला के किसी भी व्यक्ति से शिकायतें प्राप्त करने के लिए

सक्षम होगा और वह उसे अपने प्रतिवेदन के साथ यथासम्भव शीघ्र सरकार को अग्रसारित करेगा।

(1) अधिनियम की धारा-4 के अधीन सरकार द्वारा निर्गत किये जाने

okys fdlh LFkkiuk dh dwdhZ dk vkns”k ljdkj ds lfpo]

lkafLFkd foUk ,oa dk;ZØe dk;kZUo;u ls vU;wu iafDr ds

पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(2) सक्षम पदाधिकारी नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन आदेश

निर्गत होने पर, जिस सम्पत्ति के लिए कूर्की का आदेश किया गया हो उस पर कब्जा करने के प्रयोजनार्थ, आरक्षी अधिकारी या

किसी भी सरकारी पदाधिकारी से आवश्यक सहायता की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा किये जाने पर ऐसे पदाधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह सक्षम प्राधिकारी को

vko”;d lgk;rk djsA

सरकारी पदाधिकारी द्वारा नियम-4 के उपनियम (1) के अधीन

धन या अन्य सम्पत्ति की कूर्की के आदेश का प्रकाशन किये

जाने पर वह पदाधिकारी, ऐसे कूकी आदेश से संबंधित सभी सुसंगत कागजातों की प्रतियां एवं अपना रिपोर्ट तुरंत सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

सक्षम प्राधिकारी परिवादी एवं साक्षियों, यदि कोई हों, का परीक्षण कर सकेगा एवं परीक्षण की कार्यवाही लिखित रूप में अभिलिखित dh tk;sxh A

सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय स्थापना के किसी ऐसे व्यक्ति या पदधारी या कर्मचारी का परीक्षण करने की शक्ति होगी जो, उनकी राय में, वित्तीय स्थापना जिसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा कूकी आदेश निर्गत किया गया हो, के बारे में कोई जानकारी देने हेतु सक्षम हो।

सरकार द्वारा कूकी आदेश प्रकाशित किये जाने पर एवं सरकार से संसुगत कागजात एवं अन्य अभिलेख प्राप्त हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) के अधीन कूकी किये तथा उसमें निहित किये गये सभी धन एवं सम्पत्ति का ब्योरेवार लेखा और विवरण अभिलिखित करते हुए एक पंजी तुरंत तैयार करेगा एवं उक्त धन एवं सम्पत्तियों का प्रशासन यथासाध्य, जमाकर्त्ताओं एवं वित्तीय स्थापनाओं के सर्वोत्तम हित के लिये, जो ठीक समझे, करेगा।

(1) सक्षम प्राधिकारी को, वित्तीय स्थापना या उसके प्रवर्तक, निदेशक, भागीदार या प्रबंधक या ऐसी वित्तीय स्थापना के सदस्य सहित fdlh Hkh in/kkjh ds ckjs esa fdlh Hkh tkudkj dh ekax djus ;k v/is{kk djus ;k ;Fkk

अध्यपेक्षित जानकारी भेजने हेतु सरकार के किसी कार्यालय या प्राधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को निदेश देने की शक्ति होगी और ऐसी वित्तीय स्थापना या उसके पदधारी या प्रवर्तक, निदेशक, भागीदारी या प्रबंधक या ऐसी वित्तीय स्थापना के सदस्य या सरकार के कार्यालय या कोई प्राधिकारी या स्थानीय पदाधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति तुरंत उस जानकारी को सक्षम प्राधिकारी के पास भेज देगा।

(2) बिहार राज्य के किसी जिले में कार्यालय स्थापित करने एवं कार्य परिचालन करने हेतु आशयित कोई वित्तीय स्थापना/संस्था

अपने क्िरया-कलापों, कार्य क्षेत्रों एवं/या व्यवसाय की, आवश्यक सभी कागज पत्र के साथ विस्तृत जानकारी लिखित रूप में जिला समाहर्ता के कार्यालय या सरकार द्वारा इसके निमित्त प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को देगी। इस जानकारी में संबंधित राज्य के dEiuh jftLV^akj }kjk bldk fuca/ku ,oa Hkkjrh; fjtZ cSad] भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या उपर्युक्त प्रयोजनार्थ किसी अन्य विनियामक प्राधिकार से प्राप्त अनुज्ञप्ति और निबंधन के बारे esa tkudkjh ds lkFk blds dk;kZy; lajpuk fofufnZ'V स्थान/पता भी सम्मिलित होगा।

(3) पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्यपेक्षा किया जाय वित्तीय स्थापना कि किसी व्यक्ति, स्थान, सम्पत्िा, दस्तावेज, लेख बही आदि का, या प्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, पदाधिकारियों, सेवकों या ऐसी वित्तीय स्थापना के सदस्य ds laca/k esa tk;p] vUos'k.k ;k losZ{k.k lfgr lHkh dkjZokbZ djsxk एवं अपना प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को देगा।

जहाँ प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय या उनको ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में अधिनियम के

अधीन कोई कार्रवाई अनुध्यात है, फरार हो गया है या उसके फरार होने की सम्भावना है या वह स्वयं को छिपा रखा है तो सक्षम प्राधिकारी इसका लिखित रिपोर्ट अभिहित न्यायालय को तुरंत देगा ।

(1) जहाँ अधिनियम के उपबंधों के अधीन कूर्की की गयी एवं सक्षम

प्राधिकारी में निहित सम्पत्िा की द्रुत एवं स्वाभाविक क्षय होने के अधीन हो, और यदि उसकी व्ययनित करना समीचीन हो तो सक्षम प्राधिकारी अभिहित न्यायालय की अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त सम्पत्िा को बेच सकेगा या अन्यथा व्ययनित कर सकेगा एवं बिक्री आगम को वित्तीय स्थापना के लेखा में

lfEefyr dj ysxkA

(2) उपधारा-1 के अधीन उक्त सम्पत्ति को व्ययनित करने के बाद

सक्षम प्राधिकारी अभिहित न्यायालय को उसे प्रतिवेदित कर देगा।

(1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा कुर्की किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित सभी धन या सम्पत्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील कर दिया जायेगा और वह सक्षम प्राधिकारी

(2) सक्षम प्राधिकारी सभी आय एवं सम्पत्ति की कूकी की गयी तथा उसके प्रबंधन एवं व्ययनन पर उपगत व्यय का अभिलेख संधारित करेगा एवं उसका ब्यौरा समय-समय पर अभिहित न्यायालय को भेजेगा ।

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF INSTITUTION FINANCIAL &
PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

Dated 28.02.2004

No. 365-In exercise of the powers conferred by section 18 of the Bihar Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2002 (Bihar Act 18 of 2002), the State Government of Bihar hereby makes the following rules,
Namely-

1.Short title-Extent and Commecement:

- (1) These rules may be called the Bihar Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Rules, 2004.
- (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come in force at once.

2.Definitions:

In these rules, unless the context otherwise requires:

- (a) “Act means the Bihar Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2002 (Bihar, Act 18 of 2002).
- (b) “Competent Authority” means the officer appointed as the Competent Authority by the Government under Section 5(1) of the Act.

- (c) The “Collector” means collector of any district and it
 ंसेव पदबसनकमे ।ककपजपवदंस ब्वससमबजवत े
 ंनजीवतप्रमक इल जीम State Government in this behalf.

3. Complaints:

The Collector of a District shall also be competent to receive the complaints from any person in his District under sub- section (1) of section 4 of the Act and he shall forward the same together with his report to the Government as soon as possible.

4. Power to issue order of attachment:

- (1) An order of attachment of any establishment to be issued by the Government under section 4 of the Act shall be issued by an Officer not below the rank of a Secretary to Government in the Department of Institutional Financial and Programme Implementation.
- (2) The Competent Authority may, on issue of the order under sub-rule (1) of Rule 9, require the necessary assistance of police officer or any officer of the government for the purpose of taking possession of the property in respect of which the attachment order has been made and on such requisition, it shall be the duty of such officer to render the necessary assistance to the Competent Authority.

5. Examination of Complainant and witnesses :

- (1) Upon the publication of the order of attachment of money or other property by Government officer under sub-rule (1) of rule 4 such officer shall immediately forward copies of all the relevant papers and his report relating to such attachment order to the Competent Authority.
- (2) The Competent Authority may examine the complainant and witnesses, if any, and such examination proceedings shall be recorded in writing.
- (3) The Competent Authority shall have power to examine any person or office bearer or employees of the Financial Establishment who, in his opinion, is competent to give any information about the Financial Establishment in respect of which the attachment order has been issued by the Government.

6. Administration of the attached money and properties :

Upon the publication of the attachment order by the Government and, on the receipt of relevant papers and other record from the Government, the Competent Authority shall immediately prepare a register, recording detailed account and description of all the money and properties attached and vested in him under sub-section (2) of section 4 of the Act, and shall, as far

as may be practicable, administer the said money and properties in the best interest of the Depositors and the Financial Establishment, as he deems fit.

7. Right of Competent Authority to require information : (1)

The Competent Authority shall have power to call for or require any information about the Financial Establishment or its office bearers including the promoter, director, partner or manager or members of such Financial Establishment or direct any office or

authority or the Government or a local authority or any other person, to furnish such information as may be required, and such Financial Establishment or its office bearer or promoter, director, partner or manager or members of such Financial Establishment or office or authority of the Government or local

authority or any other person, shall forth with furnish such information to the Competent Authority.

(2) Any Financial Establishment/Institution intending to establish an office and operate in a district in the State of Bihar shall furnish information in writing to the office of the District Collector or any officer अनजीवतप्रमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद जीपे इमींसएि about the details of its activities, areas of operation and/or business, supported by all necessary papers.

This information shall also include its registration by the Registrar of Companies of the State concerned as also about the registration and the license obtained from the Reserve Bank of India. Securities and Exchange Board of India or any other regulatory authority for the purpose aforesaid with details of its office structure and specific location/address.

(3) An officer in charge of the police station, when required by the Competent Authority, shall take all steps, including inquiry, investigation or survey in respect of any person, place, property, documents, इववो व िंबबवनदज मजबण् व िजीम थपदंढबपंस म्ेजंसपौउमदज वत promoter, director, manager, officers, servants or member of such Financial Establishment and submit his report to the Competent Authority.

8. Powers of Competent Authority relating to absconding person :

Where the Competent Authority is satisfied or has reason to believe that a person in respect of whom and

action is contemplated under the Act, has absconded or is likely to abscond or is concealing himself the competent Authority shall immediately make a report in writing to the Designated Court.

9. Power of Competent Authority to sell or dispose of property:

(1) Where any property attached and vested in the Competent Authority under the provisions of the Act is subject to speedy and nature decay and if it is expedient it, the Competent Authority may, after obtaining permission of the Designated Court, sell or otherwise dispose of the said property and shall 56 include the sell proceeds in the account of the Financial Establishment.

(2) The Competent Authority shall, after disposing of the said property under sub-rule (1) report the same to the Designated Court.

10. Maintenance of the record of money or property attached:

(1) All money or property attached by the Government and vested in the Competent Authority under the provisions of the Act shall be sealed by the Competent Authority.

(2) The Competent Authority shall maintain the record of all the income received and the expenditure incurred on attachment of the property and management and disposal of the same, and furnish the details of the same to the Designated Court from time to time.

11. The Competent Authority shall render such assistance to the Special Public Prosecutor/Special Government Pleader in conducting the cases in the Designated Court as may be required.

By the order and in the name of Governor of Bihar

Sd/-

(Arbind Prasad)

(Secretary to Government)

Memo No. 365

Patna, Dated: 28.02.2004

Copy forwarded to-Superintendent, Government Press, Guljarbagh, Patna-7, for publication in Extra Ordinary Gazette. Please send 100 Copies of this Gazette to undersigned.

Sd/-

(Arbind Prasad)

(Secretary to Government)

Memo No. 365

Patna, Dated: 28.02.2004

Copy forwarded to-Chief Secretary, Bihar, Patna/Director General of Police, Patna, Patna/All Secretary/All Head of the

Department/All District Magistrate/All Superintendent of Police for
information and necessary action.

Sd/-
(Arbind Prasad)
(Secretary to Government)

